संख्या : 467/सत्तर-2-98-3(19)/93 टी0सी0

प्रेषक,

श्री विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

लखनऊ : दिनांक 07 अप्रैल, 1998

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय :- अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित् मानदेय के आधार पर शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जाना।

महोदय,

राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य के सुगम संचालन हेतु शासनादेश संख्या-2363/सत्तर-2-97-3(19)/93 टी0सी0, दिनांक 6-12-97 द्वारा सेवानिवृत्त अध्यापकों से रू0 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र) प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अन्दर रहते हुए रू0 100/- (रूपये एक सौ मात्र) प्रति व्याख्यान की दर से मानदेय देकर अध्यापक कार्य लिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त व्यवस्था के बावजूद भी शिक्षकों की कमी को देखते हुए श्री राज्यपाल सम्यक् विचारोपरान्त इस समस्या के समाधान के निमित्त निम्नानुसार आदेश देते हैं :-

(1) अध्यापक के रिक्त पदों पर उल्लिखित मानदेय की दर से ऐसे सभी व्यक्तियों को रखा जा सकेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हता धारित करते हों।

(2) किसी शैक्षणिक सत्र (किसी वर्ष की 1 जुलाई से अगले वर्ष की 30 जून तक) के दौरान मानदेय पर रखे जाने वाले अध्यापकों का चयन प्रबंध तंत्र द्वारा इसके ठीक पहले वाले शैक्षिणक सत्र में 1 मार्च से 15 जून

के बीच कर लिया जायेगा। इस प्रकार मानदेय पर अध्यापकों को वर्षानुवर्ष रखा जायेगा। कोई कार्यरत् अध्यापक अगले सत्र में मानदेय पर तभी कार्य कर पायेगा जब उसका नये सिरे से चयन हो जाये। प्रारम्भ में चयन 30-6-99 अथवा उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध कराये जाने तक, जो भी पहले हो, तक दी जायेगी।

(3) प्रत्येक अध्यापक मानदेय पर अध्यापन प्रारम्भ करने से पहले प्रबंधतंत्र एवं निदेशक, उच्च शिक्षा को इस आशय का शपथ पत्र उपलब्ध करायेगा कि वह मानदेय के आधार पर कार्य करने के एवज में नियमित नियुक्ति प्रदान करने की मांग नहीं करेगा। शपथ पत्र प्राप्त न होने तक मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रबंध तंत्र द्वारा दी जाने वाली नियुक्ति, निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित प्रारूप में दी जायेगी।

(4) केवल शासन द्वारा स्वीकृत एवं वेतन संदाय पर आ चुके पदों के विरूद्ध जो अध्यापक मानदेय पर रखे जायेंगे उनकी मानदेय की धनराशि का भुगतान वेतन संदाय से किया जायेगा।

(5) अध्यापकों का चयन प्रबंध तंत्र द्वारा किया जायेगा।

(6) अध्यापकों का चयन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर अभ्यर्थियों में से मैरिट के आधार पर किया जायेगा। नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र का मूल्य रू0 20/- से अधिक नहीं रखा जायेगा।

(7) मैरिट का निर्धारिण निम्नानुसार किया जायेगा :-

शैक्षणिक योग्यता :-

(अ) हाई स्कूल - कुल प्रतिशत प्राप्तांक का दस प्रतिशत।

(आ) इंटर - कुल प्रतिशत प्राप्तांक का पन्द्रह प्रतिशत।

(इ) स्नातक - कुल प्रतिशत प्राप्तांक का बीस प्रतिशत।

(ई) स्नातकोत्तर उपाधि - कुल प्रतिशत प्राप्तांक का पच्चीस प्रतिशत।

(उ) यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करता है तथा नेट में भी सफल घोषित हो चुका है तो उसे कुल दस अंक दिये जायेंगे परन्तु चयन के समय या तो वह केवल 31-12-93 के पहले की पी0एच0डी0 धारित करता है या तत्पश्चात् केवल नेट में सफल है तो इस निमित्त से उसे कोई अंक नहीं दिया जायेगा।

(8) चयन हेतु काई साक्षात्कार आदि नहीं लिया जायेगा।

(9) निदेशक मानदेय भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि चयनित अभ्यर्थी मैरिट के आधार पर चुना गया है तथा यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हता रखता है।

(10) जैसे ही किसी पद के विरूद्ध नियमित रूप से चयनित अध्यापक नियुक्ति हेतु उपलब्ध होगा प्रबन्धतंत्र द्वारा मानदेय पर रखे गये अध्यापक को तुरन्त अध्यापन कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा तथा नियमित रूप से चयनित अध्यापक को नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(11) यदि यह शिकायत प्राप्त होती है कि किसी चयन में शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है तो ऐसी शिकायत पर जांच करवाने एवं आरोप सिद्ध पाये जाने की दशा में शासन द्वारा पद के विरूद्ध, जिस पर ऐसी शिकायत से आच्छादित अध्यापक मानदेय के आधार पर कार्यरत् होगा, मानदेय की धनराशि के आहरण एवं वितरण पर रोक लगाई जा सकेगी तथा यदि कोई धनराशि मानदेय के रूप में दी गयी है तो उसे भी वसूली प्रबंधतंत्र से भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी।

4- उपर्युक्त व्यवथा पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुदान संख्या-73 के लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-104-अराजकीय कालेजों/संस्थाओं की सहायता-03-गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता (पुरूष महिलायें) 04-गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता (महिला)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा एवं आगामी वर्षों में यह व्यय इसी लेखा शीर्षक अथवा इसके प्रतिस्थानी लेखा शीर्षक के नामें डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या : यू0ओ0 : ई-11-1370/दस 1998, दिनांक 07 अप्रैल, 1998 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विनोद कुमार मित्तल

प्रमुख सचिव।

संख्या : 467(1)/सत्तर-2-98-3(19)/93 टी0सी0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार-1, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के कुल सचिव।
4. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 ।
8. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

कुलदीप एन0 अवस्थी

अनु सचिव।